The Electricity (Supply) (The Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 39 of 1972

Keyword(s):
Written Notice, Board, Licencee, Electricity Supply, Amendment

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.A. 15/72.39
e&.3
135922

विधान ... (राजकीय प्रकाशन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 जुलाई, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या 54, 1948 में नयी धारा 47-ए का बढ़ाया जाना

2—इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

प्रतिभूति

"47-ए—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कि धारा 47 के अधीन परस्पर समझौते द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है अथवा तदर्थ कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं,—

(ए) बोर्ड किसी लाइसेंसी को विद्युत् सम्भरित करने के किसी अधियाचन का अनुपालन करने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक कि लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर तदर्थ लिखित नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर बोर्ड को ऐसी प्रतिभूति, जिसे बोर्ड पर्याप्त समझे, न दे;

(बी) यदि लाइसेंसी ने पहले ही प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति अवैध या अपर्याप्त हो गयी हो, और ऐसा लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर उससे ऐसा अपेक्षित किये जाने का नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर यथापेक्षित प्रतिभूति न दे सके अथवा मूल प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि देकर पूरा न करे, जैसी भी दशा हो, तो बोर्ड ऐसे सम्भरण को बन्द करने का हकदार होगा।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 22 मार्च, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।)

Price 05 Pais

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 199 जन० (लेग०)—1972—1,334+50 S.S. (मे०)।